

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4278
(29 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी में असमानता

4278. श्री संजय काका पाटील:
श्री नंदीगम सुरेश:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (घ) के अनुसार समानता लाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी में असमानता को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं;
- (ख) क्या सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के लिए दुर्घटना संबंधी दावों के त्वरित और तत्काल निवारण के लिए एक निश्चित मुआवजे की राशि के अनुग्रह भुगतान की आसान व्यवस्था बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (ग) क्या सरकार की महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कॉफी बागान कार्यों की अनुमति नहीं देने के अपने हाल के निर्णय के बाद आदिवासी किसानों को मजदूरी सहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) 2005 के भाग 6(1) के अनुसार केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा योजना के लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य की मजदूरी दर निर्धारित कर सकती है। तदनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा की मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को महंगाई की भरपाई के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि

श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर प्रत्येक वर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है। यदि किसी राज्य की परिकल्पित मजदूरी दर पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कम आती है तो इसे पिछले वित्तीय वर्ष की मजदूरी दर रखकर ही सुरक्षित रखा जाता है। संशोधित मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अप्रैल की पहली तारीख से लागू होती है। तथापि, राज्य सरकारें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी दे सकती हैं।

(ख): अधिनियम के उपबंध के अनुसार, 'यदि योजना के तहत रोजगार प्राप्त किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या रोजगार के दौरान वह किसी दुर्घटना से हमेशा के लिए अपंग हो जाता है तो या तो वह या फिर उसके वैध उत्तराधिकारी को, जैसी भी स्थिति हो, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पात्रता अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ग) और (घ): महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि का प्रावधान करता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत स्वयं की भूमि पर वैयक्तिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा सकता है जिसमें ऐसे परिवार भी कार्य कर सकते हैं और ये परिवार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अधिसूचित मजदूरी दर के अनुसार मजदूरी प्राप्त करने के पात्र होंगे। ऐसे किसानों के लिए उनकी स्वयं की भूमि पर किए जाने के लिए अनुमेय कार्यों में भूमि विकास, कृषि तालाब, कुआं, अन्य जल संचयन संरचनाएं, बागवानी, रेशम उत्पादन, पौधारोपण, कृषि वानिकी, पीएमएवाई-जी मकान (90-95 दिनों का अकुशल मजदूरी घटक), पशु शेड, बकरी शेड, कुक्कुट शेड, सुअर बाड़ा, चारे की नांद, फिश ड्राइंग यार्ड आदि शामिल हैं।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची-1 के पैरा 5 के अनुसार व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण करने वाले कार्यों को उन भूमियों या वासभूमि में प्राथमिकता दी जाएगी जो निम्न से संबंधित हों :

(i) अनुसूचित जाति

(ii) अनुसूचित जनजाति

- (iii) घुमंतु जनजाति
- (iv) गैर-अधिसूचित जनजाति
- (v) गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले अन्य परिवार
- (vi) वे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो
- (vii) वे परिवार जिनका मुखिया दिव्यांगजन हो
- (viii) भूमि सुधार से लाभान्वित परिवार
- (ix) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी

(x) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वननिवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अंतर्गत लाभार्थी और उपर्युक्त श्रेणियों में पात्र लाभार्थियों को पूरा करने के बाद जो एग्रि डेब्ट वेवर और डेब्ट रिलीफ स्कीम 2008 में यथापरिभाषित छोटे एवं सीमांत किसानों की भूमियों पर/लेकिन इस शर्त पर कि ऐसे परिवारों के कम से कम एक सदस्य के पास जॉब कार्ड हो और वह उस भूमि या वासभूमि में शुरू हो रहे कार्यों में काम करने का इच्छुक है।